न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(मुरारी लाल शर्मा,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 38/2017

प्रविष्टि दिनांक 27.03.2017

रामकिशन पुत्र सुवा जाति गुर्जर निवासी आंटोली तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0

—अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार मालपुरा जिला—टोंक राजस्थान

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार मालपुरा दिनांक 31.08.2015 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री अनीस जैन, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री हंसराज चौधरी नायब तहसीलदार, राजकीय पेरोकार रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 07.09.2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालपुरा ने अपने आदेश दिनांक 31.08.2015 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 392/2 मे से रकबा 1.00 बीधा, खसरा नम्बर 323/1 मे से 1 बीघा 10 बिस्वा किस्म सिवायचक वाके ग्राम आंटोली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार मालपुरा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई एंव साक्ष्य—सबूत प्रस्तुत करने का भी अवसर नही दिया है। अपीलांट का उक्त आराजीयात पर कब्जा नही है। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट कार्यालय मे बैठकर तैयार की गई ना की मौके पर। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय पारित किया गया हैं। अपीलांट की स्वंय की आराजी का रकबा कम होने के कारण पटवारी ने गलत अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की है। तहसीलदार मालपुरा के पत्र क्रमांक 2153 दिनांक 03.08.2021 से अवगत कराया है कि आराजी खसरा नम्बर 323 एवं 329/2 मे अपीलांट का

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 15:05:01 IST
Reason: SelfAttested

972

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

किसी प्रकार का कब्जा नही हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी सिवायचक भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिंवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 392/2 मे से रकबा 1.00 बीघा,खसरा नम्बर 323/1 मे से 1 बीघा 10 बिस्वा किस्म सिवायचक वाके ग्राम आंटोली तहसील मालपुरा पर मूंग की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है।

अपीलांट के विरूद्व पटवारी हल्का आंटोली ने आराजी खसरा 329/2 रकबा 1 बीघा एंव 323/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा किस्म सिवायचक वाके ग्राम आंटोली पर अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की। न्यायालय तहसीलदार मालपुरा ने अपने निर्णय दिनांक 31.08.2015 मे आराजी खसरा नम्बर 392/2 एंव 323/1 का उल्लेख किया है। न्यायालय तहसीलदार मालपुरा ने अतिक्रमी को नोटिस आराजी खसरा नम्बर 329/2 एंव 323/1 का जारी किया गया है। अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमो मे आराजी खसरा नम्बर 392/2 एंव 323/1 का उल्लेख है।

अपीलांट के कब्जे बाबत तहसीलदार मालपुरा से जांच करवाने पर तहसीलदार मालपुरा ने उनके पत्र कमांक 2153 दिनांक 03.08.2021 से अवगत कराया है कि आरजी खसरा नम्बर 323/1 एंव 329/2 मे रामकिशन पुत्र सुवा जाति गुर्जर निवासी आंटोली का किसी प्रकार का कब्जा नही है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.08.2015 के जरिये की गई दोष सिद्वी एंव अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है,परन्तु सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर स्थगित रखा जाता है कि तहसीलदार मालपुरा यह सुनिश्चित करेगे की अपीलांट का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नही हो। पटवारी हल्का द्वारा राजहित मे उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया जावे तथा अपीलांट द्वारा अधिरोपित अर्थ दण्ड जमा करा दिया है एंव भविष्य मे पुनः किसी राजकीय सम्पत्ति/भूमि पर अपीलांट कब्जा नही करेगा। यदि अपीलांट उक्त भूमि पर पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 15:05:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

का निर्णय यथावत रहेगा। तहसीलदार मालपुरा हल्का पटवारी से उक्त भूमि पर अतिक्रमण के संबंध मे मासिक रिपोर्ट लेवे। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2021को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

7.9.2021

(मुरारी लाल शर्मा)
अति.जिला कलेक्टर,टोक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 15:05:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner